अनवान : ..... बनाम : .....

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर अहक आदे में ज
26/11/19	अधिवक्तागण उपस्थित। वादिया अधिवक्ता द्वारा सूची अनुसार दस्तावेज में वादिया को पैरवी हेतु भेजे गए रजिस्ट्रड नोटिस की रसीद व मूल रजिस्ट्रड नोटिस पेश किया। वादिया की ओर से कोई जवाब नही मिलने पर वादिया अधिवक्ता द्वारा पैरवी छोड दी गई है पत्रावली का अवलोकन किया गया व वादिया अधिवक्ता को सुना गया वादिया द्वारा पैरवी हेतु उपस्थित नही होने पर ऐसा प्रतीत होता है। वादिया न्याय प्राप्त करने की इच्छुक नही है। वादिया द्वारा इस न्यायालय का समय व समय जबादि किया जा रहा है। ऐसी स्थिति मे वादपत्र अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली निगीत होकर नम्बर से कम हो। पुनश्च: मूलवाद के साथ सलग्न प्रार्थना पत्र 12 RTA में स्थायी किए गए स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है। पत्रावली निगीत होकर नम्बर से कम हो। (मूलचन्द लूणिया) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सत्यमेव जयते श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2019.11.29 15:43:59 IST
Reason: SelfAttested